SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, the point raised by the hon. Member does not arise out of this question. But for the sake of the hon. Member, I would like to say that I have already told the Director-General of Civil Aviation that he should give another directive that no private airlines should print any scheduled service which is being operated.

122. [*The Questioners (Shri Anant Ram Jaiswal and Shri Digvijay Singh were absent. For answer* vide *col. . . infra.*]

*23. [*The Questioner (Shri Mohammed Afzal alias Meem Afzal) was absent. For answed* vide *col.. .....infra.*]

Assignment given by RBI to blacklisted auditors' firms

*24. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India have blacklisted a number of auditors' firms;

(b) if so, what are the names of the firms and what are the reasons therefor;

(c) whether some such firms still continue the assignment given by RBI to them to re-examine the role of RBI and make a report on its functioning over the next few years; and

(d) if so, what is the justification in giving such firms such an important assignment after blacklisting them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : Reserve Bank of India have reported that they have not blacklisted any audit firm.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. The audit firm which was given the assignment has already submitted its report to RBI.

(d) Does not arise.

SHRI KAMAL MORARKA : Mr. Chairman, Sir, it is a very serious matter and I need your protection. Members of Parliament spend so much of their time and money in asking questions, but the kind of replies they have been getting not only mislead the House, but the whole country as well. Sir, 17 firms of chartered accountants have not been reappointed in the respective banks by the Reserve Bank of India.

Newspapers have reported that they have been blacklisted. The Institute of Chartered Accountants wrote to the Reserve Bank expressing concern because those 17 firms are the country's top audit firms, namely Ferguson & Co., Price Water House, S. R. Batliboi etc. They are the top audit firms. The Institute of Chartered Accountants wrote to the Reserve Bank. The Reserve Bank gave them a technical reply that they have not blacklisted them but they have not reappointed them because they were the auditors connected with the securities scam transactions. So, for one year the Reserve Bank is waiting to see what the JPC says, what the Janakiraman Committee says and then they will make up their mind. And now the Minister says in his reply, "Reserve Bank of India have reported that they have not blacklisted any audit firm. (b) Does not arise (c) No, Sir. (d) Does not arise."

Sir, this is a very serious matter. We as Members of Parliament are responsible people. I have asked a question in all seriousness. They could have said that these 17 firms have been kept under caution list or they could have used any other technical jargon they wanted, but they cannot give

me a bland reply that the Reserve Bank has told them that no firm has been blacklisted. The fact remains that 17 top audit firms have not been reappointed. Year after year they have been reappointed and now after 20 to 30 years if they are not reappointed, it amounts to blacklisting by whatever name you call it.

I want to know whether it is a fact that 17 top audit firms have not been reappointed in their respective banks for this year and if so, the reasons therefor.

डा. अबरार अहमद : सभापति जी, मैंने जो उत्तर माननीय सदस्य को दिया है, मैं फिर उसका दोहरा रहा हूं कि किसी भी आडिट कम्पनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हां, जो बैंक स्कैम के बाद जानकीरमन कमेटी बनाई गई थी और जून, 1992 में जानकीरमन कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी और उसके बाद कुछ जो बैंक, बैंक स्कैम के अंदर शामिल थे और उन बैंक्स का काम जो आडिट कम्पनियां देख रही थीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी बातें जो उनसे अपेक्षा की जाती थी, नहीं सम्मिलित कीं। इस कारण से कुछ कम्पनियों को जिनके नाम मेरे पास हैं ...(**व्यवधान**)।

श्री कमल मोरारका : आप नाम बता दीजिए।

डा. अबरार अहमद : पहली कम्पनी का नाम, जिसका फारेन बैंक के अंदर था, जो सिटी बैंक का काम देख रही थी, मैं. प्राईस वाटरहाउस, बम्बई। दूसरी, स्टेण्डर्ड चार्टर्ड कं. जो देख रही थी, मैं लोबोज एण्ड लोबोज, बम्बई।

(बी) प्राइवेट सैक्टर बैंक्स—प्राइवेट सैक्टर में जो बैंक आफ कराड़ का काम देख रही थी, मैं. बी. सी. अभयंकर एण्ड कं. सांगली, सैकण्ड बैंक आफ मथुरा लि. इसका मैं. समुद्रम एण्ड राजमनई, मथुरा।

(सी) पब्लिक सैक्टर-इसमें जो स्टेट बैंक आफ इंडिया का काम देख रही थी, रतन एण्ड मामा एण्ड कं., बम्बई, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, इसका मैं. ए. के. दलाल एण्ड कं., यूको बैंक, जिसका मैं. बसु डे एण्ड कपूर, कलकत्ता, सिंडीकेट बैंक का अजय एण्ड कं. और आंध्र बैंक ... (**व्यवधान**)।

MR. CHAIRMAN : The rest of the names he can send to you.

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, this list could have been given in the answer of the main question itself to save the time of the House.

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने पूछा, नाम बताइये। मुझे नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो इन कम्पनियों को जो ऐसे बैंक्स का आडिट काम देख रही थीं, जिनका नाम बैंक स्कैम से संबंधित था, तो उन कम्पनियों को 1992-93 के लिए काम न देने का फैसला 12 दिसम्बर, 1992 को रिजर्व बैंक ने किया और उन कम्पनियों को इस एक वर्ष का काम नहीं दिया गया, इसलिए जब तक कि जानकीरमन कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आ जाए और जे. पी. सी. की रिपोर्ट आ जाए। अगर उसमें इनके दोषी पाया जाता है, तो इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सलाह से जो भी एक्शन होगा, वह लिया जाएगा और अगर उसमें यह इसके लिए उत्तरदेही नहीं पाई जातीं, तो अभी एक वर्ष जो इनको काम नहीं दिया गया है, इसके वैकेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि हर चार साल के बाद, दो साल के लिए इनको गैप दिया जाता है।

तो उस गैप पीरियड में, एक वर्ष यह जो 1992-93 के अंदर काम नहीं दिया गया है, इसको कनसिडर कर लिया जाएगा ।

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, I am thankful to the Minister for confirming...

MR. CHAIRMAN : Now the Minister has given the list. Will you ask your second supplementary ?

SHRI KAMAL MORARKA : I am thaning him. He could have given the list in reply to the main question itself. Now the Minister has confirmed in reply to my first supplementary that 17 top audit firms of the country have been kept out of audit work because they are suspected of not giving audit reports correctly and they are awaiting what the Jankiraman Committee says or what the JPC says before giving them further work.

Arising from this, I am asking my second supplementary. M/s A. S. Ferguson was appointed by the Reserve Bank to give a report on the role and functioning of Reserve Bank for the next 2 years. In this House we have objected to this. The Reserve Bank is nobody to decide about its role and functioning. That Parliament will do. But, nevertheless, they appointed Ferguson and Company, the same company which, now the Reserve Bank thinks, is not fit even to audit the banks' accounts. In your reply you have said :

> "The audit firm which was given the assignment has already submitted its report to RBI."

I want to know what is that report and whether you are going to lay it on the Table of the House. The House would like to know what this firm of auditors which is a renowned firm of auditors, has said about the future role of the Reserve Bank of India. Will you place the report which has been submitted to the Reserve Bank, on the Table of the House ?

डा. अबरार अहमद : सर, जनवरी 1992 में आर. बी. आई. ने मद्रास आर. ओ. के डिपार्टमेन्ट आफ बैंकिंग आपरेशन एण्ड डवलपमेन्ट के फंक्शंस का रिव्यू करने के लिए ए. एफ. फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी को अपाइंट किया था और इसके आटोमेशन और डैटा एप्लीकेशन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा । यह रिपोर्ट आर. बी. आई. को मिल गयी है, लेकिन अभी तक आर. बी. आई. ने रीजनल आफिस को कोई फार्मल इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं । दूसरी बात जोकि माननीय सदस्य ने इस कम्पनी के बारे में पूछी कि यह कम्पनी जो आलरेडी ऐसे बैंकों के अंदर आडिट कर रही थी जोकि बैंक स्कैम में शामिल हैं और अब भी जो वह कम्पनी बैंक्स के अंदर काम कर रही है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बात बताना चाहूंगा कि 12 दिसम्बर, 1992 के पहले कुछ ऐसी कम्पनियां जोकि आलरेडी बैंक आडिट का काम देख रही थीं जो बैंक स्कैम में शामिल हैं, उसको पहले ही उनको 1992-93 के लिए काम असाइन कर दिया गया था और उन्होंने काम प्रारम्भ कर दिया था । तो वह इस वर्ष के लिए काम देख रही है और आगे से जो रवैया और दूसरी कम्पनियों के लिए है, वही रवैया इन कम्पनियों के लिए रहेगा ।

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, the assignment which he is referring to, that A. F. Ferguson and Co. was assigned for automation and data of the Madras Branch, is not the assignment I am referring to. I am

not talking of that. The RBI appointed A. F. Ferguson and Company for giving a report on the futuristic role of the Reserve Bank of India in the light of the liberalisation and the changed economic scenario, on what the role of the Reserve Bank of should be. I am talking of this report. I think the officers are giving you some information just to get rid of the queries of MPs, but it wil be come a privilege question. So, I want the Minister to be very careful in replying to me. What has happened to that assigned ? Wil that report be laid on the table of Parliament ? ...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY : He is threatening the Minister.

SHRI KAMAL MORARKA : The Ministers are the legitimate victim of Parliament. My legitimate victim has escaped. So, I have to deal with his junior.

डा. अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही, इस फर्ग्यूसन कम्पनी को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था, मैंने बहुत स्पष्ट उनको बताया है कि उनकी रिपोर्ट आर. बी. आई. को मिल गयी है, लेकिन इस बारे में किसी तरह के कोई स्पेसिफिक फार्मल इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं । इसके आगे और बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं ।

श्री वीरेन जे. शाह : क्या आप रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

डा. अबरार अहमद : जो चीज रखने की होती है, रख देते हैं ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Sir, what is the mechanism that is available with the RBI or the Government to scrutinise and to evaluate the functioning of auditors who are appointed for the nationalised banks ? What are their findings, and what action has been taken on those findings ?

डा. अबरार अहमद : सर, यह सवाल बहुत सीधा-सादा आडिट कम्पनीज के बारे में है और जहां तक आर. बी. आई. के इस प्रकार से अन्य बैंक्स पर चैक करने की बात है, तो उसके लिए आडिटर्स आर. बी. आई. के अप्रूवल से नियुक्त होते हैं और उनकी जो आडिट रिपोर्ट आती है, जो भी वह क्वालीफाइड रिपोर्ट देते हैं, उसके माध्यम से जो भी उसके अंदर कमी होती है, उसको देखकर आर. बी. आई. नेसेसरी एक्शन लेती है ।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Sir, I would like to know one thing from the Minister. It is a policy matter. It has now come to light that they have been appointing chartered accountant firms for the last 20 to 25 years continuously. They have a policy for the Branches of the RBI that no auditor is continued for more than three years. is the Government going to apply this policy even to the Main Branch Office ?

Either you have a rotation system or say you are going to discontinue with the previous auditor after every three years.

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, यह तो माननीय सदस्य का एक सुझाव है, लेकिन इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, अगर माननीय सदस्य को जानकारी न हो । आर. बी. आई. ने इसके लिए एडवायजरी कमेटी बनाई हुई है आडीटर एपायण्ट करने के लिए और उसमें आर. बी. आई. के, नाबार्ड के, बैंकिंग डिवीजन के और सी. ए. जी. के प्रतिनिधि शामिल हैं । उनको जो लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती है कि कौन से आडीटर को एपायण्ट किया जा सकता है, वह इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्ट और सी. एण्ड ए. जी. से सप्लाई की जाती है । . . .

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : I am not asking as to how auditors are appointed. I am asking him very specifically whether he is going to follow a policy of having auditors for three years or wil discontinue it. That is what I am asking.

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह मैंने पहले ही कह दिया कि यह माननीय सदस्य का एक सुझाव है ।

श्रीमती रेणुका चौधरी : पहले सुन लीजिए ।.... (व्यवधान)....

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैंने कहा, यह माननीय सदस्य का एक सुझाव है, जो बात उन्होंने की है । ....(**व्यवधान**)....

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : It is not a suggestion. It is already there. I am asking whether he is going to continue the same thing for the main Branch Office.

डा. अबरार अहमद : जो प्रक्रिया है वह मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : फालो किया जाएगा, यह मैं पूछ रहा हूं आपसे ।

श्रीमती रेणुका चौधरी : आप एग्जामिन करके लिख दीजिए ।

डा. अबरार अहमद : जिस प्रक्रिया से आडीटर एपायंट किया जाता है, वह मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूं ताकि इसके माध्यम से जो किसी प्रकार की उनके मस्तिष्क में शंका है....(**व्यवधान**)....

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : मैं एपायंटमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा । मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि एक आडीटर फर्म जो एपायंट की जाती है, आज आपके जवाब से यह पता चलता है कि एक फर्म 22 साल के लिए चलती आ रही है, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या एक फर्म की लाइफ-टर्म आप तीन साल तक रखेंगे ? मेरा सीधा-सादा सवाल है ।

डा. अबरार अहमद : 22 साल डायरेक्ट कोई नहीं रहती है । हर चार साल के बाद दो साल का गेप दिया जाता है । माननीय सभापति महोदय, मैंने सबसे पहले यह बात कही कि हर चार साल के बाद दो साल का गेप दिया जाता है और जिन फर्मों को 1992-93 में काम नहीं दिया गया, अगर वह किसी तरह से रेस्पोंसिबल एड जाती है तो उनको भी यह न्यू के रूप में टेक्ट किया जाएगा । तो 22 साल लगातार किसी एक फर्म का काम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री दयानन्द सहाय : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं । अभी जो अम्बेडकर साहब ने सवाल पूछा, उसी के सिलसिले में मैं आपको बताता हूं कि वेस्टेड इंटरेस्ट डवलप हो गया है बैंकर्स और आडीटर्स में । इसलिए मंत्री जी क्या कन्फर्म करेंगे कि कोई भी आडीटर किसी बैंक में तीन वर्ष से ज्यादा आडिट का काम नहीं लेगा, उसमें दूसरे को काम मिलेगा । सिर्फ एक लाईन कन्फर्म कर दीजिए । और, गवर्नमेंट आफ इंडिया के कंट्रोल में जितने भी बैंक हैं उनमें तीन वर्ष से ज्यादा का काम आप नहीं देंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे आडीटर्स हैं कि पच्चीस-पच्चीस आडिट कर रहे हैं । आप सभी कन्फर्म कर दीजिए ।

DR. ABRAR AHMED : I have already given answer on this.